1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. गुरप्रशन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

1. 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. सतपाल सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति जटसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. चरण कौर जोजा गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
5. ग्राम पंचायत 49 एफ, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत 49 एफ पचायत समिति श्रीकरणपुर।

आद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

तारीख रजू:– 11.02.2011

उपस्थितः1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दिनांकः 10.10.2023

––निर्णय––

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा करतार सिंह पुत्र सरदार चन्दा सिंह ने तत्कालीन खातेदारान टेकचन्द, लेखराज, मुरारीलाल, अमरनाथ, ओम प्रकाश आदि से उनके हिस्सा एंव कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 की 6 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28 के 3 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 48 के 3 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि, मुरब्बा नम्बर 69/43 की 6 बिस्वा, 69/27 की 4 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 व 2 सालम-सालम, किला नम्बर 9 के 5 बिस्वा, किला नम्बर 10 सालम जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख 09.06.1969 से खरीद की थी। वादीगण के दादा के द्वारा उक्त बैयनामा का नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत पटवारी हल्का को बैयनामा की प्रति पेश की। हलका पटवारी द्वारा कुछ रोज उपरान्त वादीगण के दादा को भूमि का बैयनामा इन्तकाल संख्या 158 दिनांक 08.01.1983 दर्ज कर देना बताया। चूकिं वादीगण के दादा अनपढ थे, इसलिए नामान्तरण की नकल नहीं ले पाये। वादीगण व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा राजस्व अभिलेख की आवश्यकता पर अवलोकन कने पर पाया कि वस्तुतः बैयनामें के आधार पर किया गया इन्तकाल गलत दर्ज कर दिया गया है। वादीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में अपनी खरीदशुदा उक्त स्वअर्जित सम्पति क 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 48 की समस्त कृषि भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दी। वादीगण के दादा के मरणोपरान्त उक्त वसीयत दिनांक 30.12.2000 के आधार पर वादीगण के नाम वादाधीन कृषि भूमि का जरिए नामान्तरण संख्या 311 दिनांक 12.06.2002 नामान्तरण दर्ज हो गया। उक्त नामान्तरण के आधार पर आने वाली जमाबन्दियों में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज होता आया है। वादीगण करतार सिंह द्वारा खरीदशुदा एंव वादीगण को वसीयत की गई वादाधीन भूमि चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 48 की 3 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण का इस पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादीगण को राजस्व अभिलेख की आवश्यकता पडी तो वादीगण ने यह पाया कि करतार सिंह द्वारा बैयनामा के आधार पर करवाये गये इन्तकाल संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 में तत्कालीन पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि करते हुए बैयनामें के अनुकूल 3 बीघा 5 बिस्वा का नामान्तरण दर्ज करने की बजाय केवल 2 बीघा साढे सात बिस्वा का ही नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटि कालान्तर में दर्ज होते आई और मौजूदा जमाबन्दी में वादाधीन भूमि 0.822 हैक्टेयर वादीगण के नाम दर्ज होने के बजाय केवल 0.602 हैक्टेयर ही दर्ज कर दी गई। जबकि बैयनामें के अनुरूप वादीगण के नाम इस खाता के मुरब्बा नम्बर 48 की समस्त 0.822 हैक्टेयर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी। उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर वादी हलका पटवारी व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

तहसीलदार राजस्व से मिले तो उन्होनें त्रुटि सद्भाविक रूप से होना बताया, लेकिन इसकी दुरूस्ती का अधिकार अपने पास ना होकर न्यायालय को ही अधिकारी होना बताया। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 49 एफ के बैयनामा नामान्तरण संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 को दुरूस्त कर 2 बीघा साढे सात बिस्वा के स्थान पर करतार सिंह पुत्र चन्दा सिंह के नाम 3 बीघा 5 बिस्वा का संशोधन किया जाकर खाता संख्या 52/51 में वादीगण को 0.602 हैक्टेयर के स्थान पर 0.822 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी सहपठित धारा 148 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम रिकॉर्ड पर लिया गया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार से है कि टेकचन्द आदि के नाम 0.602 हैक्टेयर रकबा खातेदार दर्ज था और टेकचन्द आदि ने वादीगण क दादा करतार सिंह के पक्ष में अपना खातेदारी रकबा 0.602 हैक्टेयर ही विक्रय विलेख द्वारा बैय किया था। इसके अलावा अन्य कोई रकबा बैय नहीं किया था। विक्रय विलेख दिनांक 09.06.1969 में 0.602 हैक्टेयर रकबा के बजाय 0.822 हैक्टेयर रकबा बैय करना दर्ज किया हुआ है, जो गलत रकबा दर्ज किया गया है। वादीगण ने उक्त विक्रय विलेख में दर्ज गलत रकबा 0.822 हैक्टेयर की आड में हम प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से उक्त दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है, खारिज किए जाने योग्य है। काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 2068 के खाता संख्या 52/51 के मुरब्बा नम्बर 27 की 6 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28 के 3 बीघा 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 48 के 3 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि, मुरब्बा नम्बर 69/43 की 6 बिस्वा, 69/27 की 4 बिस्वा गैरमुमकिन खाला कुल 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 2.023 हैक्टेयर भूमि बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.853 हैक्टेयर एंव वादीगण के नाम 0.602 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का अपने हिस्सा अनुसार अच्छी बुरी भूमि के हिसाब से किलावाईज बंटवारा कर लगान व खाता अलग से प्रतिवादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(A)आया कि क्या वादी चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 के खाता संख्या 73 दिनांक 08.01.1983 में जो बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया को दुरूस्त कर 2 बीघा साढे सात बिस्वा के स्थान पर करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के नाम 3 बीघा 5 बिस्वा का संशोधन किया जाना उचित है व संशोधन के बाद आगामी जमाबन्दियों में उक्त अनुसार संशोधन किया जाना उचित है? -जिम्मे वादीगण-

(B)आया कि क्या उक्त संशोधन के अनुरूप वादीगण खाता संख्या 52/51 में 0.602 हैक्टेयर के स्थान पर 0.822 हैक्टेयर का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

(C)आया कि क्या बाद संशोधन वादीगण अपने कब्जा काश्त एंव हिस्सा की भूमि मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1, 2 व 10 सालम-सालम, किला नम्बर 9/1 की 0.063 हैक्टेयर का खातेदार घोषित होकर खाता अलग करवाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

(D)आया कि प्रतिवादीगण अपने हिस्सा अनुसार अच्छी बुरी भूमि के हिसाब से किलावाईज बंटवारा करवाकर अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

(E)आया कि वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। -जिम्मे प्रतिवादीगण-

(F)अनुतोष।

4. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2036 ता 39 के खाता संख्या 61 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2041 ता 44 के खाता संख्या 48/73 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 बैयनामा दिनांक 09.06.1969 की प्रति, प्रदर्श-3ए बैयनामा दिनांक 09.06.1969 की छायाप्रति, प्रदर्श-4 चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-5 चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 311 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 52/51 की प्रमाणित प्रति, स्वंय वादी गुरविन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : **आया कि क्या वादी चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 के खाता संख्या 73 दिनांक 08.01.1983 में जो बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया को दुरूस्त कर 2 बीघा साढे सात बिस्वा के स्थान पर करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के नाम 3 बीघा 5 बिस्वा का संशोधन किया जाना उचित है व संशोधन के बाद आगामी जमाबन्दियों में उक्त अनुसार संशोधन किया जाना उचित है?**

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा चक 49 एफ के बैयनामा नामान्तरण संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 को दुरूस्त कर 2 बीघा साढे सात बिस्वा के स्थान पर करतार सिंह पुत्र चन्दा सिंह के नाम 3 बीघा 5 बिस्वा का संशोधन किया जाकर खाता संख्या 52/51 में वादीगण को 0.602 हैक्टेयर के स्थान पर 0.822 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रदर्श-6 चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 52/51 की प्रमाणित प्रतिलिपि में मुरब्बा नम्बर 27, 28, 48, 69/16, 69/21 की कुल 3.478 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादीगण गुरविन्द्र सिंह, गुरदर्शन सिंह, गुरप्रशन सिंह उर्फ बलजीत सिंह के नाम 0.602 हैक्टेयर भूमि बहिब, प्रतिवादी संख्या 1 बलकार सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह के नाम 1.023 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 चरनकौर के नाम 0.853 हैक्टयेर भूमि बहिब दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श-3 पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.06.1969 में टेकचन्द वल्द हाकमराय जाति अरोडा साकिन श्रीकरणपुर के द्वारा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 सालम, किला नम्बर 2 सालम, किला नम्बर 10 सालम, किला नम्बर 9 के 5 बिस्वा कुल 3 बीघा 5 बिस्वा (0.822 हैक्टेयर) नहरी भूमि करतार सिंह पुत्र वल्द चन्दा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर को बेचान की गई है। प्रदर्श-4 चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 की प्रमाणित प्रतिलिपि में करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के नाम 47-1/2(दो बीघा सात बिस्वा अर्थात 0.602 हैक्टेयर) हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया गया है। प्रदर्श-5 चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 311 दिनांक 12.06.2002 की प्रमाणित प्रति में करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के नाम दर्ज 0.602 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश मुताबिक वादीगण गुरदर्शन सिंह, गुरप्रशन सिंह उर्फ बलजीत सिंह, गुरविन्द्र सिंह पिसरान गुरदीप सिंह जाति कम्बो सिख ब.हि. दर्ज हुआ है। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.05.1967 की छायाप्रति में कालूराम वन्द ताराचन्द अरोडा साकिन श्रीकरणपुर के द्वारा चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 5 की 18 बिस्वा, किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 10 के 10 बिस्वा मुरब्बा नम्बर 69/37 के 4 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 70 हिस्सा यानि 3 बीघा 10 (0.885 हैक्टेयर) भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 चरनकौर जोजा गण्डा सिंह को बेचान की गई है। बैयनामा दिनांक 12.05.1969 की छायाप्रति में कालूराम, टेकचन्द व लेखराज के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 140 हिस्सा यानि 7 बीघा (1.771 हैक्टेयर) भूमि गंडा सिंह वल्द अमर सिंह को बेचान की गई है। चक 49 एफ के इन्तकाल संख्या 146 दिनांक 06.01.1983 में गंडा सिंह के द्वारा 160 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 बलकार सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह को बेचान का नोट लगाकर इन्तकाल दर्ज किया गया है। परन्तु गंडा सिंह के पास 140 हिस्सा भूमि थी। 140 हिस्सा भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 20 हिस्सा भूमि अधिक दर्ज की गई है और वादीगण के दादा करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के नाम चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 में 47-1/2 हिस्सा भूमि दर्ज की गई है। जबकि करतार सिंह के द्वारा 65 हिस्सा भूमि खरीद गई थी। वादीगण के दादा के नाम 17-1/2 हिस्सा भूमि कम दर्ज की गई है। लिहाजा चक 49 एफ के नामान्तरण संख्या 157 के खाता संख्या 73 दिनांक 08.01.1983 में 2 बीघा साढे सात बिस्वा के स्थान पर 3 बीघा 5 बिस्वा का संशोधन किया जाना उचित है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि क्या उक्त संशोधन के अनुरूप वादीगण खाता संख्या 52/51 में 0.602 हैक्टेयर के स्थान पर 0.822 हैक्टेयर का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण के दादा करतार सिंह वल्द चन्दा सिंह के द्वारा 65 हिस्सा भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की गई थी। परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से 47-1/2 हिस्सा भूमि का इन्तकाल संख्या 157 दिनांक 08.01.1983 दर्ज किया गया है। जिसमें 17-1/2 हिस्सा भूमि कम दर्ज की गई है। जिसका संशोधन किया जाकर वादीगण के नाम 0.602 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.822 हैक्टेयर भूमि दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या बाद संशोधन वादीगण अपने कब्जा काश्त एंव हिस्सा की भूमि मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1, 2 व 10 सालम-सालम, किला नम्बर 9/1 की 0.063 हैक्टेयर का खातेदार घोषित होकर खाता अलग करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। अतः वादीगण चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 1, 2, 10 सालम-सालम, किला नम्बर 9 के 5 बिस्वा कुल 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि के खातेदार घोषित होकर अलग से लगान व खाता कायम करवाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 : आया कि प्रतिवादीगण अपने हिस्सा अनुसार अच्छी बुरी भूमि के हिसाब से किलावाईज बंटवारा करवाकर अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी तनकी को सिद्व करने के लिए साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 : आया कि वाद मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी तनकी को सिद्व करने के लिए साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

6.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 5 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 58/54 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 48, 69/16, 69/21 की कुल 3.480 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बलकार सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह को 1.803 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का, वादीगण गुरविन्द्र सिंह, गुरदर्शन सिंह, गुरप्रशन सिंह उर्फ बलजीत सिंह को 0.822 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम मुरब्बा नम्बर 1, 2, 10 सालम-सालम, किला नम्बर 9 के 5 बिस्वा कुल 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)